आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1658

संदीप मौदगिल से पहले, जे.

श्याम बाबू रावत-अपीलार्थी

बनाम

मनीष-उत्तरदाता

2018 का सी. आर. एम.-ए. संख्या 1725-एम. ए.

12 अक्टूबर, 2018

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत प्रत्यर्थी के खिलाफ आवेदक द्वारा की गई शिकायत खारिज कर दी गई-अपील को प्राथमिकता दी गई-एक बार जब बचाव पक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के तहत निर्धारित अनुमान का खंडन करने में सक्षम हो जाता है, तो यह आवेदक के लिए है कि वह मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करे-आवेदक ने न तो यह स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया कि कथित राशि उसके द्वारा प्रत्यर्थी को आगे बढ़ा दी गई है और न ही इतनी बड़ी राशि को आगे बढ़ाने की अपनी वित्तीय क्षमता साबित की गई है-इसके अलावा, केवल हस्ताक्षर का प्रवेश कोई प्रवेश नहीं है जहां प्रत्यर्थी खाली हस्ताक्षरित चेक के दुरुपयोग का तर्क देता है और आवेदक यह साबित करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहता है कि वास्तव में एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद था-आवेदन खारिज कर दिया गया। अभिनिर्धारित किया गया कि केवल हस्ताक्षर स्वीकार करना कोई स्वीकारोक्ति नहीं है जहां प्रत्यर्थी यह साबित करने के लिए खाली हस्ताक्षरित चेक और दायित्व के दुरुपयोग का तर्क देता है कि वास्तव में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद था, आवेदक/शिकायतकर्ता फर्म पर था और कोई और नहीं।

(पैरा 7) अर्जुन राय, कुणाल डावर के अधिवक्ता, आवेदक के अधिवक्ता

(1) अपील करने की अनुमति के लिए यह आवेदन आवेदक-शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी को बरी करने के खिलाफ दायर किया गया है, विद्वान जे. एम. आई. सी., फरीदाबाद (संक्षेप में, 'ट्रायल कोर्ट') द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 21.04.2018 के माध्यम से, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में, एन. आई. अधिनियम) की धारा 138 के तहत शिकायत को खारिज कर दिया गया है। (2) दोस्ताना घेरे के कारण, प्रत्यर्थी ने जनवरी, 2016 में आवेदक/शिकायतकर्ता से रुपये की राशि उधार देने के लिए संपर्क किया। यह आरोप लगाया जाता है कि आवेदक/शिकायतकर्ता से उक्त राशि लेते समय, प्रत्यर्थी ने छह महीने के भीतर उसे चुकाने का आश्वासन दिया। यह आगे आरोप लगाया गया है कि जब आवेदक/शिकायतकर्ता ने उसके पैसे की मांग की, तो प्रतिवादी ने अपनी देनदारी स्वीकार करने के बाद, इंडियन ओवरसीज बैंक, फरीदाबाद श्याम बाबू रावत बनाम मनीष पर निकाले गए रुपये के लिए एक चेक जारी किया।

1659

( संदीप मौदगिल, जे.)

(4) मैंने आवेदक के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड को देखा है और इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित फैसले में कोई गलती नहीं है। (5) ज्ञात निचली अदालत ने ठीक ही कहा कि आवेदक/शिकायतकर्ता यह स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज/हलफनामा/उच्चारण या कोई लेखन प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि रु। 5,00,000-उसके द्वारा प्रत्यर्थी को अग्रिम दिया गया है और इस तरह यह अत्यधिक असंभव है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी लिखित या किसी दस्तावेज़ को निष्पादित किए बिना अनुकूल ऋण के रूप में इतनी बड़ी राशि दे सकता है। आवेदक/शिकायतकर्ता अपनी जिरह के दौरान पूरी तरह से गिर गया है और अपनी शिकायत की पंक्तियों से पूरी तरह से भटक गया है। आवेदक/शिकायतकर्ता ने अपने आई. टी. आर. में यह ऋण नहीं दिखाया है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1660

डॉ. सुमती जुंद 1 2007(4) आरसीआर सी. आर. एल. 543 2 2014 (1) एन. आई. जे 296